हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 117

मंगलवार, 01 सितम्बर, 2026/10 भाद्रपद, 1948(शक्)
सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

"**प्रश्नकाल आरम्भ करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष** ने मान्य सदन से आग्रह किया कि क्वेश्चन आवर को डिबेट आवर में परिवर्तित न करें। मान्य सदन में हिमाचल प्रदेश की जनता से सम्बन्धित जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए गए वे सारे मीडिया व समाचार पत्रों में रिपोर्ट हुए हैं और लोग भी प्रसन्न होते हैं कि उनके मुद्दों पर विधान सभा में चर्चा हो रही है। इसलिए मान्य सदन में ज्यादा-से-ज्यादा इश्यूज़ आएं और वे तभी आ सकते हैं जब सब माननीय सदस्य मुझे सहयोग करेंगे। प्रश्नकाल को प्रश्नकाल ही रहने दें अन्यथा उनके पास दो ऑप्शन्ज़ हैं-प्रथम कैमरा बन्द करना पड़ेगा, दूसरा ई-विधान मॉडयूल को ज़ारी रखेंगे लेकिन भाषण देने वाली प्रकिया को बंद करेंगे। क्वेश्चन आवर में डिबेट की प्रकिया तब से आरम्भ हुई है जब से यह कैमरा आया है but we can regulate ourselves."

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या: 3300 व 4167 (स्थगित) और तारांकित प्रश्न सं0 4618, 4619, 4620, 4621 तथा 4622 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4623 से 4673 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1830 से 1869 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल समाप्त होते ही माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वाइन फ्लू (H1N1) के रिपोर्ट हुए मामलों की तरफ मान्य सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि स्वाइन फ्लू की वजह से दो लोगों की मृत्यु हो गई है और आठ मामले रिकॉर्ड में आए हैं। उन्होंने सरकार से समय रहते स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया ताकि इसकी वजह से प्रदेश में गम्भीर हालात न बने।

माननीय राजस्व मंत्री ने माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा शून्य काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि शून्य काल के दौरान सिर्फ शून्य काल के विषय ही उठाए जाने चाहिएं क्योंकि शून्य काल बड़े संघर्षों के बाद ईजाद किया गया है। अत: उक्त विषय का उत्तर न दिलाकर शून्य काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय को मद्देनज़र रखते हुए इसे शून्य काल में परिवर्तित करने का निर्णय लिया।

उक्त विषय पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो दो मौतें इंगित की गई हैं वे स्वाइन फ्लू के कारण ही हुई हैं, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसमें आवश्यक लिखित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी विषय की गम्भीरता को मद्देनज़र रखते हुए माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को सप्लीमेंट करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में स्वाइन फ्लू या विभिन्न प्रकार के वायरल रोग फैलते हैं जिनके संबंध में सरकार समय-समय पर डायरैक्शन्ज़ जारी करती रहती है और इन विषयों पर कार्रवाई कर निरंतर निगरानी भी रखती है। स्वाइन फ्लू का एक मामला एम्स से ट्रांसफर होकर यहां आया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने दो मामलों का जिक्र किया है। सरकार इस विषय पर सभी प्रकार की

एहतियात बरत रही है और जो बातें ध्यान में लाई गई हैं, उन पर भी सरकार गंभीरता से ध्यान देगी और आवश्यक इंस्ट्रक्शन्ज़ जारी करेगी।

2. शून्यकाल:

1. **माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन** ने मान्य सदन से विशेष आग्रह किया कि जो खेल वर्तमान में प्रदेश की निर्धारित अथवा सूचीबद्ध खेल श्रेणियों में शामिल नहीं हैं लेकिन उन खेलों को राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मान्यता प्राप्त है और हिमाचल के खिलाड़ी उन खेलों में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उन खेलों को भी उपयुक्त प्रक्रिया के तहत इस सूची में शामिल किया जाए। साथ-ही-साथ ऐसे खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

   माननीय आयुष मंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के संज्ञान में है और आने वाले समय में इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज करके काम किया जाएगा। जल्द ही सरकार इसके ऊपर विचार और अनुमोदनार्थ काम करेगी।

2. **माननीय सदस्य श्री विवेक शर्मा (विक्कू)** ने मान्य सदन में मामला उठाते हुए कहा कि एलीमेंट्री में प्री-प्राइमरी के बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सरप्लस स्टाफ होने के कारण काफी अध्यापकों को दूसरी जगह लगाया जा रहा है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उनको भी काउंट करके इसमें शामिल किया जाए?

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Since this matter has been raised by the Hon'ble Member and obviously will be an important issue, this Vidhan Sabha Secretariat has taken cognizance of this issue and will take up this issue with the respective department.

3. **श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक, अनुपस्थित**

4. **माननीय सदस्य श्री राम कुमार** ने अवगत करवाया कि मझौली में एक सीड कलेक्शन सेंटर है। लगभग चार-पांच महीने पहले जैसे ही कनक की फसल आई थी, लोगों ने उसे सरकार को बेच दिया था लेकिन उस कनक की धनराशि अभी तक संबंधित किसानों को नहीं मिली है। इसमें लगभग उस एरिया के

पांच-छ: सौ किसान सम्मिलित हैं। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया कि उनकी पेमेंट जल्दी रिलीज़ करवाने की कृपा करें।

इस पर माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि बहुत से किसान हैं जिन्होंने गंदम सीड के रूप में दिया है और उनकी काफी पेमेंट्स ड्यू हैं। वित्त विभाग को लिखा गया है कि जल्द ही उन पेमेंट्स को रिलीज किया जाए ताकि किसानों को अगली फसल लगाने में सुविधा हो।

5. **माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप** ने नगर पंचायत राजगढ़ में कूड़ा निपटान हेतु डंपिंग साइट न होने के कारण उत्पन्न गंभीर समस्या की ओर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया और माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि कूड़ा निपटान हेतु स्थानीय लोगों की आपत्ति को मद्देनज़र रखते हुए कोई अन्य डंपिंग साइट सुनिश्चित की जाए ताकि वहां पर यह समस्या सुलझ सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने ठोड़ कोलन कूड़ा संयंत्र में व्यय की गई 26 लाख रुपये की राशि का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती क्योंकि वहां पर कार्य जीरो है। इसलिए निवेदन रहेगा कि इसकी भी जांच की जाए।

<u>Ruling by the Hon'ble Speaker</u>

"Since you have brought this important matter to the attention of this august House, we have taken cognizance of it. We will take up the issue with the appropriate Ministry and department. We will apprise you of their response and ensure that your concerns are properly addressed."

6. **माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज** ने वर्तमान वर्ष में प्रस्तावित मणिमहेश यात्रा के प्रबंधन के सन्दर्भ में बरती गई लेट-लतीफी का ज़िक्र किया और सुझाव दिया कि पिछले वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष मई या जून के महीने में ही इस यात्रा को लेकर समुचित प्रबन्ध किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धालुओं से लिए जा रहे विभिन्न प्रकार के शुल्कों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें समाप्त करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने परिक्रमा मार्ग पर सरकार द्वारा जो पाबंदी लगाई है उसे खोलने का भी आग्रह किया।

माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार विचार करेगी।

7. **माननीय सदस्य श्री संजय रत्न** ने बी0पी0एल0 और आई0आर0डी0पी0 में शामिल करने हेतु अर्बन बॉडीज़ में रखे गए 26500/- रुपये के इन्कम क्राइटेरिया को कम-से-कम 1,00,000/- रुपये करने का आग्रह किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब कोई मुलाजिम नगर पंचायत या एम0सी0 से सेवानिवृत्त होता है तो उसके सारे रिटायरल बेनिफिट संबंधित नगर पंचायत या एम0सी0 से दिए जाते हैं जिसके कारण विकासात्मक कार्यों हेतु बजट बहुत कम बचता है। इसलिए इस खर्च को संबंधित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जाए।

   माननीय लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य श्री संजय रत्न ने बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाए हैं, उनमें से एक विषय बी0पी0एल0/आई0आर0डी0पी0 के इन्कम क्राइटेरिया से संबंधित है। बदलते परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में इन्कम क्राइटेरिया बढ़ाया गया है उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाया जाना चाहिए। विभाग इस विषय को निश्चित तौर से रिव्यू करेगा। जहाँ तक दूसरे विषय का सम्बन्ध है उसको भी रिव्यू किया जाएगा।

8. **माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी** ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पांवटा साहिब की चार महत्वपूर्ण सड़कों (NH-07-शिवपुर-बांगरण-भगानी और कोदड़ी-माजरी; पुरुवाला-राजपुरा-कलाथा-बढ़ाणा-किलोड़; रामपुरा घाट-नवादा-मानपुर-देवदा तथा राजपुरा-से-बनौर) की स्पेशल रिपेयर करवाने का आग्रह सरकार से किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओवर लॉडिंग की वजह से सड़कों को हो रहे नुकसान की तरफ भी मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

   माननीय लोक निर्माण मंत्री ने माननीय विधायक को विश्वास दिलाया कि जिन-जिन सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है उनमें निर्धारित समय में टारिंग करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक गाड़ियों में ओवर लॉडिंग की समस्या का संबंध है उसे माइनिंग डिपार्टमैंट द्वारा देखा जाए कि गाड़ियों में तय मानकों के अनुसार ही लॉडिंग की जाए।

3. कागज़ात सभा पटल पर :

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 51वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखाओं पर तैयार ऑडिट एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री यादविन्दर गोमा, आयुष मन्त्री** ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2026-27) ने **प्राक्कलन** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **जल शक्ति विभाग** के अन्तर्गत **जल जीवन मिशन** की संवीक्षा पर आधारित है;

(2) समिति का **18वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** की संवीक्षा पर बने समिति के **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्राक्कलन समिति द्वारा **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियन्त्रण, नमूना प्रक्रिया एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन** की संवीक्षा पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(4) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) पर बने समिति के **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी** ने दिनांक 29 व 30 अगस्त, 2026 को हुई भारी वर्षा से परवाणु व नजदीकी गांव को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति बारे मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

(12.39 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

(12.41 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"A very exhaustive reply has been given by the Hon'ble Revenue Minister, which has satisfied the Hon'ble Member. In any case, if the Hon'ble Member is still not satisfied, he can read the reply. Thereafter come to the Vidhan Sabha. No, I will not allow you. No clarification is required."

(2) **माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह** ने 18 अगस्त, 2026 को बागनाधार, कमरऊ में खनन के दौरान तीन मजदूरों के दबने से उत्पन्न स्थिति पर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

6. **विधेयकों को वापिस लेने बारे प्रस्ताव:**

(1) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 23)** को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
विधेयक वापिस हुआ।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि **भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4)** को वापिस लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार।
विधेयक वापिस हुआ।

7. **विधायी कार्य:**

<u>सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मा0 मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 **का विधेयक संख्यांक** 10) **पुर:स्थापित हुआ।**

2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मा0 मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (**लोक सुरक्षा और सुविधा**) **संशोधन विधेयक, 2026** (202**6 का विधेयक संख्यांक** 13) **पुर:स्थापित हुआ।**

3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मा0 मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (**संशोधन**) **विधेयक, 2026** (202**6 का विधेयक संख्यांक** 14) **पुर:स्थापित हुआ।**

4) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 15) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (**संशोधन**) **विधेयक, 2026** (202**6 का विधेयक संख्यांक** 15) **पुर:स्थापित हुआ।**

5) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 12) पुर:स्थापित हुआ।

6) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) पुर:स्थापित हुआ।

भोजनावकाश के लिए 1.07 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 2.05 अपराह्न तक स्थगित की गई।

(भोजनावकाश उपरांत मान्य सदन की बैठक 2.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **दिनांक 31.08.2026 को माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी :-**

"युवाओं के लिए रोज़गार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे" यह सदन विचार करे।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री सतपाल सिंह सत्ती, मा0 सदस्य

(**2.21 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।**)

2. श्री राजेश धर्माणी, मा0 नगर एवं ग्राम योजना मंत्री
3. श्री बलबीर सिंह वर्मा, मा0 सदस्य

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि रोज़गार से जुड़े हुए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मान्य सदन में चर्चा हो रही है। नियम-67 के अंतर्गत दिए गए इस विषय को नियम-130 में कंवर्ट किया गया और जब इस पर चर्चा हो रही है तो सत्ता पक्ष के कुछेक मंत्रियों सहित सिर्फ 9 या 10 माननीय सदस्य ही सदन में उपस्थित हैं जिससे सरकार की गम्भीरता प्रदर्शित हो रही है।

इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्ष के 28 माननीय सदस्यों में से सिर्फ 8 माननीय सदस्य ही मान्य सदन में उपस्थित हैं और जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया है वे भी यहां उपस्थित नहीं है जोकि विपक्ष की मुद्दे के प्रति गम्भीरता दर्शाता है। सरकार इस विषय में गम्भीर है और इसका समुचित उत्तर देगी।

4. श्री किशोरी लाल, मा0 सदस्य
5. श्री प्रकाश राणा, मा0 सदस्य

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा द्वारा रखी गई पॉजिटिव बातों का समर्थन किया और राज्य की वित्तीय हालत डगमगाने के कारणों का उल्लेख करते हुए इसका मुख्य कारण वित्तायोग द्वारा लगातार आर0डी0जी0 को कम करना बताया। उसकी वजह से ही प्रदेश की आय व व्यय में अंतर बढ़ा है। सरकार इस अंतर को कम करने के लिए अलग-अलग स्फीयर में काम कर रही है।

इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए केन्द्र सरकार पर आक्षेप लगाने के बजाय प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक सबसे अमीर राज्य बनाने के फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार को सिर्फ 18 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 89 हजार करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

6. श्री विनोद सुल्तानपुरी, मा0 सदस्य
7. श्री दीप राज, मा0 सदस्य

(5.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 5.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

8. श्री नीरज नैय्यर, मा0 सदस्य (क्रमागत)

(5.30 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 5.35 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

श्री नीरज नैय्यर, मा0 सदस्य

5.31 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****